राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः प.1(5) निपेवि/स्था/80/पार्ट–14/ 3014 – 38-R दिनांक 8/8/2022

–:नियुक्ति आदेशः–

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित शीध्रलिपिक संयुक्त भर्ती परीक्षा–2018 के चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग,जयपुर के पत्र कमांक प.2(2) प्र.सु./अनु.– 3/2022 दिनांक 13.07.2022 से इस विभाग को शीध्रलिपिक के पद पर नियुक्ति देने हेतु आवंटित करने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान में शीध्रलिपिक के रिक्त पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रू.23,700/– (अक्षरें रूपयें तेईस हजार सात सौ मात्र) प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल सेवायें संतोषजनक रूप में पूर्ण करने के उपरांत पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–10 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति दी जाकर इनका पदस्थापन, इनके नाम के सामने अंकित क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन एतद्द्वारा किया जाता हैं:–

SL NO	RANK	ROLL NO	Date of Birth	Candidate Name	Father Name	GENDER	Category	Sel-Cat	Posting place
1.	177	102270	07 July, 1998	DHANESH DUKIYA	BHANWAR LAL	Male	OBC	A_GEN	Additional Directionr, Pension Deptt. Regional Office, Jodhpur
2.	184	102883	15 August,2000	MAHENDRA DUKIYA	BHANWAR LAL	Male	OBC	A_GEN	Additional Directionr, Pension Deptt. Regional Office, Bikaner
3.	569	167643	07 May, 2000	KULDEEP CHOUDHARY	RAJARAM CHOUDHARY	Male	OBC	A_OBC	Additional Directionr, Pension Deptt. Regional Office, Kota
4.	979	176600	03 July, 1993	BHAGYA SHREE THUNIYA	BABU LAL THUNIYA	Female	SC	A_SC	Additional Directionr, Pension Deptt. Regional Office, Ajmer
5.	1828	175647	09October,1996	RAJ KUMAR MEENA	SITARAM MEENA	Male	ST	A_ST	Additional Directionr, Pension Deptt. Regional Office,Bharatpur

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के **15 दिवस** में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। यदि किसी कारणवश 15 दिवस में पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो वे पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये सूचित करे। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि शीध्रलिपिक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के परिशिष्ठ–iv के (नियम–16) अन्तर्गत पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 10 में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रू.23,700/– (अक्षरें रूपयें तेईस हजार सात सौ मात्र) प्रतिमाह के रूप में मिलेगें। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं बोनस आदि नियमानुसार देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी.25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा ।

c:\users\acer\desktop\appointment letter steno.docx

5.यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षाधीन अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से, सेवामुक्त किया जा सकेगा।

6.परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगे । गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15 (01)/कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधन प्रभावी होगें ।

7.जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

8.दो वर्ष की परिवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण शीघ्रलिपिक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 10 में न्यूनतम वेतन में करते हुये नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

9.परिवीक्षाधीन अवधि में अन्य सुविधा व अवकाश आदि, राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होगें ।

10.राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2022 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना (दिनांक 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये अधिसूचना/नियम/परिपत्र के अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।

11.उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

12.यदि किसी व्यक्ति के दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है अथवा दस्तावेज भविष्य में फर्जी पाये जाते है, तो विभाग इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगा।

13.भविष्य में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में अभ्यर्थी के आचरण के संबंध में यदि प्रतिकूल टिप्पणी पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी। साथ ही अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध की जायेगी।

14. उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में दायर शीघ्रलिपिक संयुक्त शीघ्र भर्ती परीक्षा–2018 से संबंधित समस्त लम्बित याचिकाओं में होने वाले निणयों के अध्यधीन रहेंगी।

15.अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी ।

16.अभ्यर्थी की वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की मेरिट सूची वरियता क्रमांक के आधार पर होगा ।

17.अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

18.परिवीक्षा काल (Probation-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्वि देय नहीं होगी।

c:\users\acer\desktop\appointment letter steno.docx

19.कार्यग्रहण करने के पश्चात, भविष्य में किस पद हेतु आवेदन करने या प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व तथा अग्रिम अध्ययन (Further Study) के लिए परीक्षा फार्म भरने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

20.अभ्यर्थियों को परिविक्षाकाल में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।

21.यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है।

22.अस्थाई सेवाकाल में बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता हैं।

23.उक्त नियुक्तियों में प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान के परिपत्र दिनांक 18.05.2020 में दिये गयें निर्देशों की पूर्ण पालना की गई हैं।

(संजय सोलंकी)
निदेशक

क्रमांकः प.1(5) निपेवि/स्था/80/पार्ट–14/ 3014-38-R दिनांक 8/8/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

2.शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र कमांक प.2(2) प्र सु/अनु.–3/2022 दिनांक 13.07.2022 के संदर्भ में ।

3.संयुक्त शासन सचिव, वित्त(पेंशन) विभाग,जयपुर

4.अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जोधपुर,कोटा,बीकानेर एवं भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यार्थी के अपने पदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण की सूचना से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें ।

5.आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्यालय हाजा

6.उप निदेशक/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करवावें ।

7.निजी सचिव, निदेशक महोदय

8.प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना शाखा

9.संबंधित अभ्यार्थी श्री/सुश्री ....
पता ....
....(पंजीकृत डाक द्वारा)

10. निजी पत्रावली ।

11. रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय)

c:\users\acer\desktop\appointment letter steno.docx